कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेड़िकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2552233 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/खनिज/331–215/2715 रायपुर, दिनांक 5/11/2016

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 of 112.385 ha of Reveue forest land for Coal Mining Regarding SECL Gevra Project.**
– **पंजीयन कमांक/FP/CG/MIN/13199/2015**

संदर्भः– – मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/तक/1829 दिनांक 14.10.2016

= 0 =

विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम –1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार आवेदनकर्ता एस.ई.सी.एल. गेवरा तहसील कटघोरा द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में राजस्व वन रकबा 112.385 हे. वन भूमि की मांग कोयला खदान विस्तार परियोजना हेतु मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत निम्न कमियां पाई गई हैः–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 250 में वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के कालम न. 7 में वृक्षो का विवरण नहीं है परन्तु आनलाईन में विदोहित होने वाले पेड़ो की संख्या का विवरण दिया गया है। प्रतिवेदन में कई तथ्य अनुमान से दर्शित है। पृष्ठ क्रमांक 135 में वन परिक्षेत्र अधिकारी के हस्ताक्षर अनुसार कुल पेडों की संख्या 3545 दर्ज है परन्तु आनलाईन कुल पेडो की संख्या 3794 दर्शाया गया है। दोनों में विरोधाभास है। इस संबंध में वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल जानकारी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें। वन मंडलाधिकारी स्वयं स्थल निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रेषित करें।
2. प्रस्ताव में वन अधिकार पत्र वितरण हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति का सत्यापित कार्यवाही विवरण संलग्न करें। कितनी बार इस तथ्य को स्पष्ट किया जावे? नमूना संलग्न है **(प्रदर्श–ब)**।
3. केवल प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों के Zoological Name की सूची प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. परियोजना से संबधित माईनिंग प्लान संलग्न करें 4 प्रतियों में।
5. आवेदित क्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस रिपार्ट मय सी.डी shape file and .kml file संलग्न करें।
6. आनलाईन फार्म–2 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की (.kml file) जानकारी अपलोड नहीं की गई है।
7. वन मंडलाधिकारी द्वारा Time Line की हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न नहीं है।

उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव आनलाईन ई.डी.एस के माध्यम से वापिस किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल खानापूर्ति कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

5/11/16
(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./ भू–प्रबंध/खनिज/331–215/2716 रायपुर, दिनांक 5/11/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन मंडलाधिकारी**, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य महा प्रबंधक**, एस.ई.सी.एल, कोरबा क्षेत्र, कोरबा।

वर्तमान में किसी भी प्रकार के भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

5/11/16
(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

- 254 -Letter-Mining-2016-(1)